AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

सामाजिक आर्थिक समद्धता में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का योगदान का विश्लेषण (सरगुजा जिले के विशेष संदर्भ में)

ORIGINAL ARTICLE

Author

जगमीत कौर,

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग

कंलिगा विश्वविद्याालय,

रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

किसी राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों का पूर्ण विकास हो। भारत देश के कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत भाग गांव में निवास करता है। इस हेतु अति आवश्यक है कि ग्रामीण इलाकों का पूर्ण विकास हो। वर्तमान संदर्भ में खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य इस क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण व लोगों को सस्त दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 में निहित प्रावधानों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र व शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को सस्ते दाम पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हुए उनके सामाजिक उत्थान का प्रत्यन करने से है। सभी समाजशास्त्री भी इस बात पर सहमत हैं कि एक समाज के उपेक्षित वर्ग को मुख्य धारा में लाये बिना सामाजिक विकास के चरम तथ्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा व जागरूकता के अभाव में इस वर्ग के लोग शासन की विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां धन की कोई कमी नहीं है परंतु कुछ लोग व समुदाय ऐसे हैं जिन्हें आज भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। व्यवहार रूप से यह देखने को मिलता है कि शासन की अधिकतर योजनाएं इन्हीं कारणों से असफल रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 के अर्न्तगत शासन की मनसा यही है कि इन्हें सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर अल्प आय, अल्परोजगार तथा बेकार व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधारा जायें। प्रस्तुत शोध में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागु होने से आये सामाजिक अर्थिक समृद्धता पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य शब्द

खाद्य सुरक्षा, स्वालम्बन, उपभोक्ता, सामाजिक, आर्थिक.

प्रस्तावना

खाद्य सुरक्षा अत्यंत व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके अन्तर्गत खाद्यान्न के उत्पादन, खरीदी की व्यवस्था, सुरक्षित भंडारण एवं जरूरत मंद लोगों तक विक्रय या वितरण की प्रणाली भी शामिल है। देश में प्रति वर्ष लगभग 23 से 25 करोड़ टन खाद्यान द्वारा उत्पादन होता है। किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान मोटे तौर पर दो प्रणालियों के जरिये आम उपभोक्ताओं तक पहुँचता है। इसमें प्रथम प्रणाली खुले बाजार की क्रियायें है जिसमें निजी व्यापारी अनाज मण्डियों में किसानों से खाद्यान्न खरीद कर खुले बाजार में विक्रय हेतु लाता है। प्रथम प्रणाली के उपभोक्ता मुख्यतः अपनी खाद्यान्न की आवश्यक्ता हेतु बाजार पर निर्भर रहने वाले सामान्यतः आर्थिक रूप से समर्थ वर्ग के होते

हैं। दूसरी प्रणाली सरकारी अनाज की खरीदी व्यवस्था है जिसमें भारतीय खाद्य नियम एवं राज्य की खरीदी एजेंसी द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज की खरीदी की जाती है।

प्रदेश के सभी गरीब और जरूरतमंदो को पात्रता अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 को राज्य विधान सभा द्वारा लाया गया है। इस अधिनियम में निहित खाद्य पदार्थों में प्रोटीन युक्त पदार्थों की कमी है। खाद्य पदार्थ सभी को सही मात्रा में मिले इसकी व्यवस्था में सुधार लाना आवश्यक है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्रियों का दुरूपयोग को रोकना एक बड़ी चुनौती है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन राज्य के जनजाति बहुल सरगुजा जिले पर किया गया है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैः

1. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 के सन्दर्भ में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी एकत्र करना।
2. सरगुजा जिलें में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना।
3. जिलें में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 द्वारी हितग्राहियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मूल्यांकन करना।
4. जिले के इस योजना में हितग्राहियों के सामाजिक–सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्टभूमि का अध्ययन करना।
5. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 में सामाजिक आर्थिक सुविधाओं की भावी रूपरेखा प्रस्तुत करना।

प्रतिदर्श–चयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन के विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुये सरगुजा जिले के विकास खण्डों में से 2 विकासखण्डों का चयन उनके बहुत आबादी के आधार पर किया गया है। इसके पश्चात् इसी प्रकार से प्रत्येक विकासखण्ड से 2–2 विकासखण्डों का चयन कर कुल 4 ग्रामों में से कुल 60 परिवारों का चयन याच्छिक प्रतिदर्श की सहायता से किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, खाद्य विभाग से जुड़े कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम के सरपंच तथा अन्य विशेषज्ञों का साक्षात्कार–अनुसूची एवं वैयक्तिकअध्ययन के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गयी है।

परिणाम और व्याख्या

प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों को सारणी परिणाम और व्याख्या क्रमांक 01, 02, 03, 04, 05 में प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 ने हितग्राहियों के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। हितग्राहियों को इस योजना से क्या सशक्तिकरण हुआ है। इस संबंध में प्राप्त अभिमत को सारणी क्रमांक–01 में दर्शाया गया हैः

सारणी क्रमांक 01ः सशक्तिकरण संबंधित अभिमत

क्रं.	अभिमत	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	58	96.66
2	नहीं	01	1.66
3	पता नही	01	1.66
	योग	60	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं में 96.66 प्रतिशत का अभिमत है कि उनके सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण में यह योजना सहायक सिद्ध हुयी है। वहीं 1.66 प्रतिशत लोगों का

मत है कि उन्हें सशक्तिकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली है जबकि लगभग इतने ही प्रतिशत लोगों ने इस विषय से संबंधित कोई भी अभिमत प्रकट नहीं किया गया।

सारणी क्रमांक–01 में 96.66 प्रतिशत का अभिमत है कि इस योजना में उनका सशक्तिकरण हुआ है। इस सशक्तिकरण का प्रकार संबंधित अभिमत सारणी क्रमांक–02 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी क्रमांक 02: योजना अन्तर्गत सशक्तिकरण अभिमत

क्रं.	अभिमत	आवृति	प्रतिशत
1	सामाजिक	11	18.96
2	आर्थिक	46	79.31
3	राजनैतिक	01	1.72
	योग	58	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 79.32 प्रतिशत का मत कि इस योजना से उनके आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। वही 1.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि उनकी राजनैतिक स्थिति सुधरी है।

खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड में महिला के नाम का जारी करने का प्रावधान है ताकि महिलाओ का सशक्तिकरण हो और उनमें सामाजिक नेतृत्वशीलता को बल मिले। क्या यह योजना महिला सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध हुयी है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं का महिला सशक्तिकरण संबंधित अभिमत सारणी क्रमांक–03 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी क्रमांक 03: महिला सशक्तिकरण अभिमत

क्रं.	अभिमत	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	20	33.34
2	नहीं	12	20.00
3	पता नही	28	46.66
	योग	60	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 46–66 प्रतिशत लोगों ने अपना कोई अभिमत प्रदर्शित नहीं किया। जबकि 33–34 प्रतिशत लोगों का कहना है कि इस योजना से महिलायें आर्थिक–सामाजिक रूप से सक्षम हुयी है।

क्या यह योजना गांवों कें सामाजिक–आर्थिक स्वालम्बन में मदतगार है। इस संबंध में अध्ययन क्षेत्रों के उत्तरदाताओं से आर्थिक स्वालम्बन के अभिमत को सारणी क्रमांक–04 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी क्रमांक 04: सामाजिक–आर्थिक स्वावलम्बन संबंधित अभिमत

क्रं.	अभिमत	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	42	78.34
2	नहीं	10	16.66
3	पता नही	03	5.00
	योग	60	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 78.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि इस योजना से सामाजिक–आर्थिक स्वालम्बन हुआ है वहीं 16.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस योजना से स्वावलम्बन संबंधित कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि 5.0 प्रतिशत ने अपना कोई भी अभिमत प्रकट नहीं किया है।

निष्कर्ष

खाद्य सुरक्षा गरीबी रेखा के नीचे निवासित लोगों की आर्थिक सुरक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण आयाम बन चुका है। किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी चिन्ता एवं चुनौती इस बात की होती है कि उसे ससम्मान दो वक्त की रोटी मिल सके। यह एक कल्याणकारी राज्य की बड़ी जिम्मेदारी भी है। राज्य के द्वारा इस योजना ने सिर्फ आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है बल्कि उनके सामाजिक–सांस्कृतिक प्रस्थिति को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस योजना के द्वारा लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु कई उपायों को षामिल किये जाने की नितांत आवश्यकता है। पोषक भोजन के साथ अन्य उपायों के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना की सार्थकता बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है।

सदंर्भ सूची

1. Khan, A.U. and Saluja, M.R. (2007). Impact of MNREGA on Rural Livelihoods, Paper presented in 10th Sustainable Development Conference on Sutainable Solutions: *A Spotlight on South Asian Research,* Islamabad, Pakistan, December 10-12
2. Mathur, L. (2009). Silent buyt successful initiative, *The Hindu.* 1st March
3. Mathur L. (2007). Employment Guarantee :Progress so far, *Economic and political weekl,* Vol. 42 (52), Pp.17-20.
4. Mohsin, N. (1985), *"Rural Development Through Govt. Programmers"*, Mittal Publication, Delhi.
5. Roy, D.S. and Samanta, D. (2010), Good Governance and employment Generation through NREGA: A case study of Gram Panchayat in West Bengal, Documentation. Growth, Organised by Ministry of Rural Development GOI.
6. Shah, M. (2004). National Rural Employment Guarntee Act: A Historic Opportunity, *Economic and Political Weekly,* Vol XXX (39), Pp: 5287-5291.
7. http://www. gov.in
8. http://www. nrega.net.

****